भारत सरकार
पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारां कत प्रश्न सं. 3338
दिनांक 9 दिसम्बर, 2019

त मलनाडु को केरो सन का आबंटन

3338. डॉ॰ टी॰आर॰ पारिवेन्धः
डॉ॰ थोल तिरूमावलवनः

क्या पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कः

(क) क्या केन्द्र सरकार ने त मलनाडु को आपूरित कए जाने वाले केरो सन की मात्रा को अत्य धक कम करके इसे 62000 कलोलीटर से 16000 कलोलीटर कर दिया है; और

(ख) क्या त मलनाडु सरकार ने त मलनाडु को अ धक केरो सन आबंटित करने के लए केन्द्र सरकार से अनुरोध कया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा केन्द्र सरकार द्वारा त मलनाडु राज्य को अ धक केरो सन आबंटित करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है**?**

उत्तर
पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्री
(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)

(क) : पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) खाना पकाने और रोशनी करने के प्रयोजनार्थ राज्यों/यूटीज को तिमाही आधार पर सार्वजनिक वतरण प्रणाली (पीडीएस) म ी तेल का आबंटन करता है। एलपीजी कवरेज और ग्रामीण वद्युतीकरण में हुई वृ द्ध को ध्यान में रखते हुए, पीडीएस म ी तेल के वतरण को त मलनाडु राज्य सहित देश भर में युक्ति संगत बनाया गया है। तदनुसार, त मलनाडु राज्य के पीडीएस म ी तेल आबंटन को वर्ष 2019-20 की तीसरी तिमाही के लए 32,292 कलो लीटर तक युक्ति संगत बनाया गया है।

(ख) : त मलनाडु सरकार से एक पत्र प्राप्त हुआ था और त मलनाडु सरकार को सू चत कर दिया गया था क प्राकृतिक आपदाओं, धा र्मक समारोहों, मत्स्य पालन, व भन्न 'योजनाओं', 'मेलों' आदि जैसी वशेष जरुरतों के लए एमओपीएनजी ने दिनांक 21 अगस्त, **2012** का आदेश जारी कया है जिसके द्वारा प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र म ी तेल का एक माह का कोटा प्रत्येक वत्तीय वर्ष के दौरान गैर राजसहायता प्राप्त दरों पर ले सकता है।

***